

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 365]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 अगस्त 2013—श्रावण 23, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2013

क्र. एफ-3 (10)-2011-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा जबलपुर संभाग की सतर्कता समिति में, श्री राजेन्द्र दुबे को सदस्य के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है.

No. F-3-(10)-2011-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 (No. 37 of 1981), the State Government on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoints Shri Rajendra Dubey as Member, in the divisional vigilance committee, Jabalpur division for the period of three years with effect from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश कौल, उपसचिव.